संख्या 1462 / उन्तीस(2)08–2(145पे0) / 2007

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।,

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 13 सितम्बर, 2008

विषयः– नगरीय जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत श्रीनगर जलोत्सारण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1106 / डनतीस(2) / 08–2(145पे0) / 07 दिनांक 24.06.08 द्वारा जनपद पौड़ी के अन्तर्गत श्रीनगर जलोत्सारण योजना पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0लागत रू0 188.89 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई है। तद्विषयक आपके पत्र संख्या 976 / गंगा प्रदूषण / दिनांक 12.08.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्वीकृत प्राक्कलन अनु0लागत रू0 188.89 लाख के सापेक्ष रू0 94.445 लाख (रू0 चौरानबे लाख चौवालिस हजार पॉच सौ मात्र) अनुदान की मद में तथा इतनी ही धनराशि ऋण मद में अर्थात कुल रू0 188.89 लाख (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख उन्नबे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

ऋण अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन होगीः–

(1) ऋण मद की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती हैं कि पूर्व में स्वीकृत ऋणों की अदायगी यदि अभी तक नहीं की गई हों तो ऐसी समस्त धनराशि का समायोजन किये जाने के बाद ही शेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) यह ऋण 15(पन्द्रह) समान किश्तों में व ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। इस ऋण का प्रतिदान ऋण आहरण की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगा। उक्त ऋण पर अन्तिम रूप से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु निगम द्वारा

क्रमश..2.

समय–समय पर ऋण का प्रतिदान/ब्याज का भुगतान करने की दशा में 3–1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि कालातीत न हों अर्थात अन्तिम प्रभावी ब्याज की दर 11–1/2 (साढे ग्यारह) प्रतिशत होगी। ऋण/ब्याज का भुगतान प्रतिदान करने के बाद एक बार भी वितिथ होनें पर ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(3) ऋणी/संस्था/समिति/कारपोरेशन/स्थानीय निकाय आदि प्रत्येक दशा में ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजें।

(4) ऋणी/संस्था/संस्थान जब भी ब्याज जमा करें महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें –

(1) कोषागार का नाम
(2) चलान संख्या व दिनांक
(3) जमा धनराशि।
(4) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या एवं एस0एल0आर0 का संदर्भ किश्त ब्याज
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ।

(5) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगाठ पर अपने लेखों का निदान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करें। भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था में इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया हैं तथा प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति यथा समय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें।

3– अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा

4– उपरोक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 31.12.08 तक पूर्ण उपयोग कर तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त कराया जायेगा।

5– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0,एस0 एण्ड डी0, टैंडर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

6– व्यय उन्ही मदो/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा हैं ।

7–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तारदायी होगें । यदि एक मद/योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजनाओं पर किया जाना पाया जाता हैं तो इस हेतु विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

8– यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा ।

कगश..3

9— उपरोक्त के अतिरिक्त योजना पर प्रशासकीय स्वीकृति सम्बंधी शासनादेश संख्या 1106 / उन्तीस(2) / 08–2(145पे0) / 07 दिनांक 24.06.08 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

10–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01– जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05– नगरीय पेयजल–01– नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक– "6215–जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 मल–जल तथा सफाई– आयोजनागत– 800– अन्य कर्ज– 04– पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश / ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

11— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267 / XXVII(1) / 2008, दिनांक 27.03. 2008 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

सं0–1626/उन्तीस(2) / 08–2(145पे0) / 2007,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल ।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6–अधिशासी अभियनता, निर्माण शाखा (गंगा)उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर (गढ़वाल)
7–वित्त अनुभाग–2 / वित्त(बजट सैल) / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8–निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
10–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
11–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
12–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव